न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0–263 सन् 2015

रितु कुमार वगैरह.................वादी।

बनाम

मु0 बिन्दा कुंवर वो अन्य ....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 22.06.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 4 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 11.04.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 01 मु0 बिन्दा कुंवर की मृत्यु दिनांक 17.08.2018 को अपने निवास स्थान बाकरपुर में हो गई है। वादी ने अपना आवेदन दिनांक 17.09.2018 को दिया था परंतु तकनीकि भूल वश आवेदन नॉट प्रेस कर दिया। प्रार्थी वादिनी अपने कथन के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हैं। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 01 मु0 बिन्दुा कुंवर का नाम वादपत्र से कलमजद करने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 01 मु0 बिन्दा कुंवर थी जिनकी मृत्यु दिनांक 17.08.2018 को अपने निवास स्थान बाकरपुर में हो गई थी। वादी उक्त आशय का आवेदन दिनांक 07.09.2018 को दिया था परंतु भूलवश नॉट प्रेस हो गया था। वादी दिनांक 11.04.2022 को पुनः आवेदन दाखिल कर प्रतिवादी सं0 01 का नाम वादपत्र से कजलमजद करने का आवेदन दाखिल किया है। वादी की ओर से उक्त आवेदन शपथ पत्र के साथ दाखिल किया गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 11.04.2022 को प्रतिवादी सं0 01 का नाम वादपत्र से कलमजद करने हेतु दाखिल आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक....................को सुनवाई हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।